


निरीक्षक  
मद्य निषेध  
२१/१९

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-७/स्था० (स०अ०नि०)-०२-०२/२०१९...../५२२/- श्री शाद करीम, सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहायक आयुक्त मद्य निषेध कार्यालय, पटना से स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक मद्य निषेध कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित किया जाता है।


2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(श्रीकृष्ण पासवान)  
संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०:-७/स्था० (स०अ०नि०)-०२-०२/२०१९...../५२२

पटना, दिनांक-१३.०२.१९

प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा/सहायक आयुक्त मद्य निषेध, पटना/श्री शाद करीम, सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध  
बिहार, पटना।